न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 243/2017

दायरा दिनांक 15.12.2017

टीकूराम पुत्र रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली (3 पी.पी.एम.) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली हाल आबाद श्योपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सरस्वती पत्नी रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली हाल श्योपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. संतोष पत्नी हेतराम पुत्री रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. धापी पत्नी साहबराम पुत्री रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैंक शाखा जैतसर मर्ज पंजाब नेशनल बैंक जैतसर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट – वादी
2. श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी एडवोकेट – प्रतिवादी नं 2 ता 4

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 05.01.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के नाम से सयुक्त खाता की भूमि वाके चक 2 एच.डब्ल्यू.डी. के खाता सं. 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16 व 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं. 212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार तीनों पत्थर नम्बरान में कुल 6.225 हैक. अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी के नाम 1/5 हिस्सा यानि 1.245 हैक. अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी नं. 2

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

ता 4 वादी व प्रतिवादी नं. 1 की सगी बहने है। प्रतिवादी नं. 01 बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जान पहचान होने के कारण प्रतिवादी नं. 2 ता 4 से तथाकथित तौर दस्तबतदारी दिनांक 18.04.2017 को अपने पक्ष में करवा ली है जो वादी के हितो पर निष्प्रभावी है क्योकि उक्त रकबा वादी व प्रतिवादीगण के पिता का होने से पैतृक रकबा है वादी के परिवार पर हिन्दू विधि के नियम कानूनन लागु होते है वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार के रिति रिवाजों के मुताबिक पैतृक रकबा में एक मृतक का वारिस अपने हिस्से की दस्तबतदारी अकेलने किसी वारिस के पक्ष में हकत्याग नही कर सकता उसके हिस्से का तमाम रकबा अन्य वारिसों को ब.हि.बराबर प्राप्त होगा इसलिये प्रतिवादी नं. 1 द्वारा अपने पक्ष में करवाई गई दस्तबतदारी दिनांक 18.04.2017 जो कि शुरू से ही शुन्य है व वादी के हितों पर निष्प्रभावी है को वादी अपने हितों पर निष्प्रभावी घोषित करवाने का हकदार है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 01 ता 04 के पिता के नाम की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी नं. 01 को 1/2 हिस्सा पर काश्त करते आ रहे है व मौका पर फसल भी काश्त कर रखी है व अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को काफी अर्सा से रूपया पैसा खर्च कर भूमि को उपजाऊ बनाया है। प्रतिवादी नं. 01 वादी को उसके हको को वंचित कर देना चाहता है इसी उदेश्य से उसने प्रतिवादी नं. 02 ता 04 से अकेले के हक में दस्तबतदारी दिनांक 18.04.2017 को करवा ली है जो विधि विरूद्ध है क्योकि कानूनन एक मृतक व्यक्ति का वारिस या हिस्सेदार अपने हिस्से की दस्तबतदारी अकेले एक हिस्सेदार या एक वारिस के पक्ष में त्याग नही कर सकता है इसलिये दस्तबतदारी दिनांक 18.04.2017 वादी के हितो पर निष्प्रभावी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.02.2018 को प्रतिवादी नं 2 ता 4 की तरफ से श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी वकील ने वकायलनामां पेश किया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11.04.2018 को पेश हो। दिनांक 11.04.2018 को उभय पक्ष उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 को बार बार आवाजें लगाई गई, बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही की जाती है। वकील वादी प्रतिवादी सं. 5 ता 7 का तलबी तलवाना पुनः पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी जबाव दावा दिनांक 15.06.2018 को पेश हो। दिनांक 14.08.2018 को उभय पक्ष उपस्थित वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 4 द्वारा इकबाल जबाव दावा पेश किया, शामिल मिसल रहे। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 का रजिस्टर तलबी तलवाना पेश किया, नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14.09.2018 को पेश हो। दिनांक 18.02.2020 को उभय पक्ष उपस्थित प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को बार बार आवाजें लगवाई बावूजद समयक तामिल हाजिर नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तनकीयात कायम की जाकर व्याख्या की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 23.03.2020 को पेश हो।

तनकी नं. 1 :– जिसे सिद्ध करने का भार वादी का है वादी एंव प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 2 एच.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19,

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं. 212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 6.225 हैक. रकबा अनकमाण्ड भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा यानि 1.245 हैक. अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

– वादी

तनकी नं. 2 :– जिसे सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी की प्रतिवादी नं. 1 ने प्रतिवादी नं. 2 ता 4 से तथाकथित तौर पर दस्तबरदारी दिनांक 18.04.2017 को अपने पक्ष में करवा ली है जिसे वादी के हितों पर निष्प्रभावी घोषित किया जावे क्योंकि उक्त रकबा पैतृक है व पैतृक सम्पति की दस्तबरदारी अकेले किसी वारिस के पक्ष में हक त्याग नही कर सकता है।

– वादी

तनकी नं. 3 :– आया वादी की प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ उक्त जैर प्रकरण रकबा में से 1.867 हैक. अनकमाण्ड भूमि वादी के कब्जा काष्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वंय ना तो दखलदाजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे।

– वादी

तनकी नं. 4 :– अन्य अनुतोष

तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में वादी टीकूराम ने उपस्थित होकर बयान शपथ पत्र साक्ष्य वादी पेश किया, शामिल मिसल रहे। जिरह वकील प्रतिवादी शुन्य रही। साक्ष्य वादी और नही कराना चाहते है। साक्ष्य वादी बंद किये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 12.10.2020 को पेश हो। दिनांक 12.10.2020 को उभम पक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 12.11.202 का पेश हो। दिनांक 12.11.2020 उभय पक्ष उपस्थित साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही दिये है। साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाते है। वास्ते बहस दिनांक 13.11.2020 को पेश हो। दिनांक 17.03.2021 को उभय पक्ष उपस्थित समय अभाव में निर्णय नही लिखया जा सका। वास्ते निर्णय दिनांक 20.04.2021 को पेश हो। दिनांक 20.07.2021 को पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित समय अभाव में निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते मजीद बहस 09.09.2021 को पेश हो। दिनांक 30.06.2023 को उभय पक्ष उपस्थित बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय दिनांक 14.07.2023 को पेश हो। दोनो पक्षकारो के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाने के पश्चात निम्न से तनकी वार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी का था वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो साक्ष्यो से यह पुर्णतया साबित है कि वादी एंव 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 2 एच.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं.

लगातार पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 6.225 हैक. रकबा अनकमाण्ड भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा यानि 1.245 हैक. अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो पैतृक सम्पति है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

तनकी न. 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। उक्त जैर प्रकरण रकबा वकील वादी द्वारा कानूनी नजीर आरआरटी 2014(1) पेज नं. 509 के अनुसार सहखातेदार उसका हिस्सा एक सहखातेदार के पक्ष में नही छोड़ सकता।

तनकी नं. 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। प्रतिवादी नं. 1 के पास चक 2 एच.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं. 212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 6.225 हैक. रकबा में से 3.735 हैक. भूमि की तथाकथित दस्तबरदारी दिनांक 18.04.2017 को वादी के हितो पर से निष्प्रभावी करते हुए प्रतिवादी नं. 1 के नाम से 1.867 हैक. रकबा कलमजन कर वादी के नाम जोड़ा जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अधिवक्ता की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वकील वादी द्वारा कानूनी नजीर आरआरटी 2014(1) पेज नं. 509 के अनुसार सहखातेदार उसका हिस्सा एक सहखातेदार के पक्ष में नही छोड़ सकता। इसलिए चक 2 एच.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं. 212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 6.225 हैक. रकबा में से 3.735 हैक. भूमि की तथाकथित दस्तबरदारी दिनांक 18.04.2017 को वादी के हितो पर से निष्प्रभावी करते हुए प्रतिवादी नं. 1 के नाम से 1.867 हैक. रकबा कलमजन कर वादी के नाम जोड़ा जाना उचित समझते है। प्रतिवादी नं. 1 के नाम रहेगा उस पर बैंक ऋण का नोट यथावत रहेगा।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र की भूमि वाके चक 2 एच.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं. 212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 6.225 हैक. रकबा में से 3.735 हैक. भूमि की तथाकथित दस्तबरदारी दिनांक 18.04.2017 को वादी के हितो पर से निष्प्रभावी करते हुए प्रतिवादी नं. 1 के नाम से 1.867 हैक. रकबा कलमजन कर वादी के नाम जोड़ा जाकर इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

–: डिक्री ब मुक्दमम इख्तदाई :–

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़

बइजलास – सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

टीकूराम पुत्र रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली (3 पी.पी.एम.) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली हाल आबाद श्योपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सरस्वती पत्नी रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली हाल श्योपुरी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. संतोष पत्नी हेतराम पुत्री रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. धापी पत्नी साहबराम पुत्री रेवन्तराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैंक शाखा जैतसर मर्ज पंजाब नेशनल बैंक जैतसर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए मुकदमा नं. 243/2017 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री जसवीरसिंह एडवोकेट व प्रतिवादी नं. 2 ता 4 के वकील श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके चक 2 एच.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 32/43 के पत्थर नं. 212/44 के किला नं. 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 में 4.201 हैक. अनकमाण्ड व पत्थर नं. 212/36 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हैक. व पत्थर नं. 212/28 के किला नं. 14 ता 16 में 0.759 हैक. इस प्रकार कुल 6.225 हैक. रकबा में से 3.735 हैक. भूमि की तथाकथित दस्तबरदारी दिनांक 18.04.2017 को वादी के हितो पर से निष्प्रभावी करते हुए प्रतिवादी नं. 1 के नाम से 1.867 हैक. रकबा कलमजन कर वादी के नाम जोड़ा जाकर इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है। व वादी के नाम के 1.245 हैक. रकबा पर बैंक ऋण यथावत रहे।

आज .... × .... मुबलिग .... × .... बाबत् .... × .... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह .... × .... कस्दो की पालना .... × ....आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.01.2024 को जारी की गयी।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)